भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1956

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा क्षेत्रों से पलायन

†1956. श्री संजय दिना पाटील:
श्री संजीव गणेश नाईक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य सही है कि लोग अरूणाचल प्रदेश की सीमा-क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सीमा पर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग वहीं रहें और जमीनी स्तर पर प्रादेशिक प्रभुत्व को स्थापित किया जा सके

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) और (ख) : जी, नहीं। अरूणाचल प्रदेश में लोगों के सीमावर्ती क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) : अरूणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। अरूणाचल प्रदेश राज्य के 12 सीमावर्ती जिलों के पहचान किए गए 41 सीमावर्ती प्रखण्डों (ब्लॉक) में सीमा प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय/राज्य बीएडीपी/स्थानीय योजनाओं के आमेलन के माध्यम से सम्पूर्ण आवश्यक अवसंरचना के साथ दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाएं/ परियोजनाएं सम्पर्क मार्गों, पैदल मार्गों, पुलियों, पुलों, पैदल पुलों, विद्यालय भवनों, सामुदायिक केन्द्रों, जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण, आंगनवाड़ी, युवाओं के कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण, खेलकूद, कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों आदि से सम्बन्धित हैं।

*****